

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-गुप-2) विभाग  
क्रमांक.एफ. 1(2)डीओपी/ए-II/84

जयपुर, दिनांक : 31.1.2018

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1988 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.- राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1988, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(छ) “आयुक्त/निदेशक” से आयुक्त/निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान अभिप्रेत है;”

(ii) विद्यमान खण्ड (झ) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ज) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड (झझ) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(झझ) “विनियम” से सनय-समय पर यथासंशोधित और राज्य सरकार द्वारा यथा अंगीकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुसूचना संबंधी उपाय) विनियम, 2010 अभिप्रेत हैं।

(iii) खण्ड (ड) में, अंत में अभिव्यक्ति “और” जोड़ी जायेगी; और

2/2018

"39. रिक्त पद पर भर्ती के लिए विशेष उपबन्ध और कार्य-भार- (1) अधिवार्षिकी, मृत्यु, नये महाविद्यालयों में पदों के सृजन या किसी अन्य कारण से संवर्ग में किसी रिक्ति को केवल सहायक आचार्य के पद पर सीधी भर्ती द्वारा मरा जायेगा और उस पद को, जो कैरियर उन्नति स्कीम (कै.उ.स्की.) के अधीन सहायक आचार्य से सह-आचार्य और सह-आचार्य से आचार्य पर पदोन्नति के पश्चात् रिक्त हो, सीधी भर्ती द्वारा नहीं मरा जायेगा।

(2) प्राचार्य, आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य का कार्य-भार सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित मानकों के अनुसार होगा।

11. अनुसूची-1 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची-1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"अनुसूची-1"

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती की शीति प्रतिशत सहित	सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति/चयन किया जाना है	पदोन्नति/चयन के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
<b>प्रशासनिक पद</b>						
1	आयुक्त/निदेशक	100% चयन द्वारा	-	प्राचार्य/संयुक्त निदेशक	स्तंभ सं. 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	सरकार किसी भी समय जब स्थिति की ऐसी मांग हो, आयुक्त/निदेशक के पद पर किसी भा.प्र.से के अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी।
<b>अध्यापन पद</b>						
2	महाविद्यालय का प्राचार्य/संयुक्त निदेशक (शैक्षणिक)	100% चयन द्वारा	-	आचार्य/सह-आचार्य/उप प्राचार्य	(i) आचार्य जो सुसंगत शाखा में पीएच.डी डिग्री रखता हो, प्राचार्य के रूप में पदोन्नति का पात्र होगा।	(i) 75% मद सह-आचार्य/उप प्राचार्य के पद से भरे जायेंगे और शेष 25% पद उपलब्ध आचार्य के पद द्वारा भरे जायेंगे।

51

					कार्यक्रम, व्यावहारिक कौशल विकास कार्यक्रम और संकाय विकास कार्यक्रम के प्रवर्गों में से न्यूनतम एक सप्ताह की अवधि का एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम।	
					(iv) अनुसूची-I से संलग्न परिशिष्ट-I की सारणी-I और सारणी II (क) तथा II (ख) में यथाउपबंधित चयन समिति वही होगी जो नियम 23 में यथा विहित है।	
6	सहायक आचार्य (श्री.ग्रे.वे. 8000)	100% पदोन्नति द्वारा	-	सहायक आचार्य (श्री.ग्रे.वे. 7000)	विनियमों के खण्ड 6.4. 6 के अनुसार।	
7	सहायक आचार्य (श्री.ग्रे.वे. 7000)	100% पदोन्नति द्वारा	-	सहायक आचार्य (श्री.ग्रे.वे. 6000)	विनियमों के खण्ड 6.4.5 के अनुसार।	
8	सहायक आचार्य	100% सीधी	(i) अच्छा शैक्षणिक	-	-	

	भर्ती द्वारा	<p>अभिलेख साथ में किसी भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर कम से कम 55% अंक (या अंकमान पर समतुल्य ग्रेड जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनायी जाती है), या किसी प्रत्यारित विदेशी विश्वविद्यालय से कोई समतुल्य डिग्री।</p>			
		(ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूर्ण			

51









राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक: एफ1(41)स्था/आकाशि/2016/पार्ट - 1110

दिनांक 04-12-2020

संशोधन आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम 2018 की अनुसूची 01 के बिन्दु संख्या 08 के कॉलम संख्या 04 में कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्यों की सीधी भर्ती से चयन के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता का प्रावधान किया गया है। इस शैक्षणिक योग्यता में वर्णित अच्छे शैक्षणिक अभिलेख के क्रम में शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के पत्र क्रमांक F1 Edu.4/2010 दिनांक 21.02.2014 द्वारा परिभाषित अच्छे शैक्षणिक अभिलेख में उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक: एफ1(41)स्था/आकाशि/2016/पार्ट /1039 दिनांक 15.09.2020 के द्वारा एस.सी./एस.टी./दिव्यांग तथा ओ.बी.सी.(गैर समृद्ध) श्रेणी के अभ्यर्थियों को पात्रता तथा 21.02.2014 के पत्र में परिभाषित अच्छे शैक्षणिक अभिलेख में 5 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान की गई थी।

शिक्षा ग्रुप-4 के पत्र दिनांक 21.02.2014 तथा उच्च शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 15.09.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त आदेश में परिभाषित अच्छे शैक्षणिक अभिलेख को एतद् द्वारा प्रत्याहारित करते हुए राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम 2018 की अनुसूची 01 के बिन्दु संख्या 08 के कॉलम संख्या 04 में वर्णित शैक्षणिक योग्यताओं के क्रम में अच्छे शैक्षणिक अभिलेख को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है:-

“ कला/विज्ञान/वाणिज्य संकाय हेतु गुड अकेडमिक रिकार्ड से अभिप्राय:- स्नातक स्तर पर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक। इसमें एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. (गैर समृद्ध) एवं दिव्यांग श्रेणी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत तक की छूट दी जा सकेगी।

विधि संकाय हेतु गुड अकेडमिक रिकार्ड से अभिप्राय:- विधि स्नातक परीक्षा कम से कम द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण किया जाना आवश्यक है।”

दिनांक 15.09.2020 के आदेश में पी.एच.डी एवं पात्रता के संबंध में वर्णित शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

(शुचि शर्मा)

शासन सचिव  
उच्च शिक्षा विभाग

दिनांक 04-12-2020

क्रमांक: एफ1(41)स्था/आकाशि/2016/पार्ट-1110

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा(ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

(शुचि शर्मा)

शासन सचिव  
उच्च शिक्षा विभाग